I/14466/2024

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

संख्या–3620 / इक्कीस–एल0बी0सी0–1 / 2022–2023 दिनांक 29 अप्रैल, 2024

सेवा में,

श्री हिमांशु पाल,
अधिवक्ता,
मा0 उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–54 / 20232 रत्नेश्वर जन कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 09.11.2023 के अनुपालन में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–54 / 2023 रत्नेश्वर जन कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य में निर्णित आदेश दिनांक 09.11.2023, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0 में निर्णित आदेश के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, चमोली–गोपेश्वर द्वारा अनुपालन आख्या प्रतिशपथ पत्र के रूप में तैयार की गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग चमोली–गोपेश्वर द्वारा तैयार अनुपालन आख्या / प्रतिशपथ को समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Vineeta Bhatt
Date: 29-04-2024 11:32:59

(विनीता भट्ट),
प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी, चमोली।

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO:- 54 of 2023

Ratneshwar Jan Kalyan Samiti ……. Applicants

VERSUS

State of Uttarakhand and others ……….Respondents

ACTION TAKEN REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, BADRINATH FOREST DIVISION, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 09.11.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE PRESENT MATTER

SR	PARTICULARS	PAGES
1.	Action Taken Report by way of Affidavit on behalf of Divisional Forest Officer, Badrinath Forest Division, Uttarakhand in compliance of Order Dated 09.11.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter	
2.	A true copy of the Minutes of Meeting Dated 05.04.2024 of the Committee constituted by District Wetland Committee.	

NOTARY
D. S. Rawat
Area- Gopeshwar
Reg No 08(11)2003
GOVT OF UTTARAKHAND

(Himanshu Pal)
Advocate
State of Uttarakhand

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO:- 54 of 2023

NOTARY D. S. Rawat Area- Gopeshwar Reg No 08(11)2003 GOVT OF UTTARAKHAND

NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL

Ratneshwar Jan Kalyan Samiti ……. Applicants

VERSUS

State of Uttarakhand and others ……. Respondents

Action Taken Report by way of Affidavit on behalf of Divisional Forest Officer, Badrinath Forest Division, Uttarakhand in compliance of Order Dated 09.11.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter

I, Sarvesh Kumar Age about 57 years, s/o Shri Shiva Dutt Dubey, presently posted as Divisional Forest Officer, Badrinath Forest Division, do hereby solemnly affirm on oath and state as under –

1. That the deponent is the Respondent no. 3 in the present matter and as such he is fully acquainted with the facts of the case deposed below on behalf of Divisional Forest Officer, Badrinath Forest Division.

NOTARY D. S. Rawat Area- Gopeshwar Reg No 08(11)2003 GOVT OF UTTARAKHAND 27-4-2024

2. That on 09.11.2023 the Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following order –

"*8. In the course of interaction, we have been informed that District Wetland Committee chaired by District Magistrate is already in place and they are scheduled to convene a meeting wherein they have agreed to include respondent no. 5 and 6 i.e. owners of the land in question to be invited to the meeting of the District Wetland Committee and appropriate remedial measures be taken after deliberations for proper conservation and management of Benital Lake and its catchment area and solid waste management in the surrounding, keeping in view the environmental stability of the Himalaya.*"

3. That in compliance of the aforesaid order, the DM, Chamoli filed an Action Taken Report dated 26.02.2024 before this Hon'ble Tribunal, whereby it was stated that the District Wetland Committee has constituted another Committee vide Office Order dated 19.02.2024 (*Annexure 2 of ATR dated 26.02.24*) for the specific purpose of conducting the site

NOTARY
D. S. Rawat
Area- Gopeshwar
Reg No 08/11/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND

inspection of Benital Lake, to find out if it meets the criteria of a Wetland. Then accordingly, if it satisfies the criteria of a Wetland, then a proposal could be made to the State Government for its declaration as a Wetland.

4. That consequently, the said Committee conducted the spot inspection of Benital Lake and made its report dated 05.04.2024, wherein it was found that -

   (1) the technical committee has found that there is a lot of aquatic grass in the lake.

   (2) There is no solid waste found near the lake, nor is there any kind of untreated waste/effluent coming from nearby human settlements.

   (3) The Benital lake is not a source of potable/drinkable water

   (4) The landowner/ Respondent no.5 has constructed a 3 mtr high stone dam to stop the water during the rainy season.

NOTARY
D S Rawat
Area- Gopeshwar
Reg No 08(11)2003
GOVT OF UTTARAKHAND
22-4-2024

(5) It was also found that the Respondent no.5 is conserving the Benital lakeas per Notification No. 802 Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017 issued by the MoEF, Union of India.

Therefore, the Committee recommended that the Benital Lake may not be declared as a Wetland.

True copy of the Minutes of Meeting Dated 05.04.2024 of the Committee constituted by District Wetland Committee is marked as **Annexure No. 1** to this affidavit.

5. That present report by way of affidavit on behalf of Divisional Forest Officer, Badrinath Forest Division, Uttarakhand is being filed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, for kind perusal of this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY
D S Rawat
Area Gopeshwar
Reg. No 08/11/2003
25-4-2024

DEPONENT

VERIFICATION

I, the abovenamed deponent, do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the above status report by way of affidavit are true and correct to my knowledge, based in record, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Gopeshwar on this 27 day of April., 2024

DEPONENT

NOTARY
D. S. Rawat
Area- Gopeshwar
Reg No 08(11)2003
GOVT OF UTTARAKHAND
27-4-2024

Filed by –

(Himanshu Pal)
Advocate for State of Uttarakhand
Himanshupal.delhi@gmail.com

Verified that Shri/Smt Sarvesh Kumar
The deponent is identified by S. A. Rajbhall (FORESTER)
Sworn & ve... the contents of this affidavit ... Gopeshwar Chamoli

D. S. RAWAT
Advocate Notary 27-4-2024
Gopeshwar Chamoli
R. No. 08/(11)...

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2023 रत्नेश्वर जन कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 09.11.2023 एवं जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.02.2024 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में गठित तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 05.04.2024 को बैनीताल झील के संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या :–

उपरोक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2024 को तकनीकी समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सर्वसहमति से संयुक्त गठित समिति की उपस्थिति में भू–स्वामी *respondent no. 5* श्री राजीव सरीन तथा **respondent no. 6** श्री अजीत सरीन को भी संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किये जाने हेतु आमंत्रित किये जाने का भी निर्णय लिया गया। दिनांक 05.04.2024 को बैनीताल झील का स्थलीय निरीक्षण में उपस्थित अधिकारियों एवं भू–स्वामी की उपस्थिति का विवरण :–

1. श्री के0के0 पन्त, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चमोली।
2. श्री जुगल किशोर, उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. श्री शुभम डोभाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, थराली।
4. श्री तीरथ सिंह राणा, ए0डी0ओ0, उद्यान विभाग, चमोली।
5. श्री ओम प्रकाश वर्मा, ए0आर0, पर्यटन विभाग, चमोली।
6. श्री अखिलेश भट्ट, वनक्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़।
7. श्री मनीष नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता, जिला पंचायत, चमोली।
8. श्री मनोज कार्की, राजस्व उपनिरीक्षक, तहसील कर्णप्रयाग।
9. श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिशासी अधिकारी, कर्णप्रयाग।
10. श्री राजीव सरीन, भूस्वामी (प्रतिवादी संख्या 05)।

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2023 रत्नेश्वर जन कल्याण समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 09.11.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देश प्राप्त हैं :–

NOTARY D S Rawat Area Gopeshwar Reg No 08/11/2003 UTTARAKHAND

"Keeping in view the importance attached with the fragile Himalayas, the aspects of solid waste management in surrounding area and conservation and management of the Benital lake and its catchment area needs to be given due attention in accordance with the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017 and Guidelines 2020.

In the course of interaction, we have been informed that District Wetland Committee chaired by District Magistrate is already in place and they are scheduled to convene a meeting wherein they have agreed to include respondent no. 5 and 6 i.e. owners of the land in question to be invited to the

meeting of the District Wetland Committee and appropriate remedial measures be taken after deliberations for proper conservation and management of Benital Lake and its catchment area and solid waste management in the surrounding, keeping in view the environmental stability of the Himalaya."

मा0 एन0जीटी0 पारित निर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, चमोली की अध्यक्षता में गठित जिला आर्द्रभूमि समिति की दिनांक 12.02.2024 को बैठक आहुत की गयी थी। बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बैनीताल झील यदि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–802 आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्ध) नियम, 2017 दिनांक 26 सितम्बर, 2017 में उल्लिखित मानकों के अनुसार वेटलैड का स्वरूप ले रही हो तो बैनीताल झील को वेटलैड़ घोषित किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या–2304/इक्कीस–एल0बी0सी0–01/2022–23 दिनांक 19.02.2023 के द्वारा नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर की अध्यक्षता में निम्नानुसार तकनीकी समिति गठित की गयी है:–

01–प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर –अध्यक्ष।
02–अधिशासी अभियंता, सिचांई विभाग, थराली –सदस्य।
03–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चमोली –सदस्य।
04–तहसीलदार, कर्णप्रयाग –सदस्य।
05–जिला पर्यटन अधिकारी चमोली –सदस्य।
06–जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी चमोली –सदस्य।
07–जिला कृर्षि अधिकारी चमोली –सदस्य।
08–जिला उद्यान अधिकारी, चमोली –सदस्य।
09–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग –सदस्य।

उक्त स्थलीय निरीक्षण में निम्न तथ्य संज्ञान में आये :–

01– मौके पर भू–स्वामी *respondent no. 5* श्री राजीव सरीन द्वारा अवगत कराया गया कि बैनीताल झील का रख–रखाव उनके द्वारा वर्ष 1945 से वर्तमान तक सुचारू रूप से उनके द्वारा स्वयं एवं प्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है और बैनीताल झील के आस–पास कोई भी निर्माण कार्य एवं अन्य कोई अवैध कार्य नहीं किये जा रहे हैं। मात्र झील के पानी के बहाव को बचाने के लिये Stone Dam बनाया गया है। चूंकि वर्षाकाल में झील के जल का स्तर बढ़ जाता है तथा अन्य मौसम जैसे शीतकाल, ग्रीष्मकाल में पानी का स्तर कम हो जाता है साथ ही अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा बैनीताल झील का रख–रखाव अच्छी तरह से किया जा रहा है तथा कोई भी Commercial Property नहीं बनायी गयी है। वेटलैंड़ के अन्तर्गत 75 वर्षो से कोई भी अप्राकृतिक परिवर्तन नहीं आया है। बैनीताल झील के रख–रखाव हेतु भू–स्वामी द्वारा अपना प्रतिनिधि रखा गया है और उन्ही के द्वारा बैनीताल झील की देख–रेख की जाती है।

NOTARY D. S. Rawat Area: Gopeshwar Reg. No. 08(11)2003

02—भू—स्वामी *respondent no. 5* श्री राजीव सरीन द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान अवगत कराया है कि उनके द्वारा बैनीताल झील का रख—रखाव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—802 आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्ध) नियम, 2017 दिनांक 26 सितम्बर, 2017 में उल्लिखित मानकों के अनुसार करते आ रहें हैं तथा निरन्तर करते रहेंगे और यदि Government बैनीताल झील के संरक्षण हेतु यदि कोई तकनीकी सुझाव दे तो उनके स्वयं के द्वारा समय—समय पर उनका अनुश्रवण किया जायेगा।

03— तकनीकी समिति द्वारा मौके पर पाया गया कि बैनीताल झील में काफी मात्रा में जलीय घास पायी गयी। बैनीताल झील में तथा झील के आस—पास किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया तथा बैनीताल झील में किसी भी प्रकार का मानव बस्तियों का अवशोधित अपशिष्ट व बहिस्राव का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

04—बैनीताल झील से किसी भी प्रकार से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है।

05—तकनीकी समिति द्वारा मौके पर पाया कि भू—स्वामी *respondent no. 5* श्री राजीव सरीन द्वारा वर्षाकाल में पानी को रोकने हेतु 03 मीटर ऊचांई का स्टोन डैम निर्मित किया गया है।

06—मौके पर निरीक्षण के दौरान बैनीताल झील के आस—पास के गांवों से आने वाले घरेलू जानवरों का विचरण होता हुआ भी पाया।

07—समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि भू—स्वामी *respondent no. 5* श्री राजीव सरीन द्वारा बैनीताल झील का संरक्षण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—802 आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्ध) नियम, 2017 के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। जिस कारण गठित समिति द्वारा बैनीताल झील को वैडलैंड घोषित न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

स्थलीय निरीक्षण के फोटोग्राफ

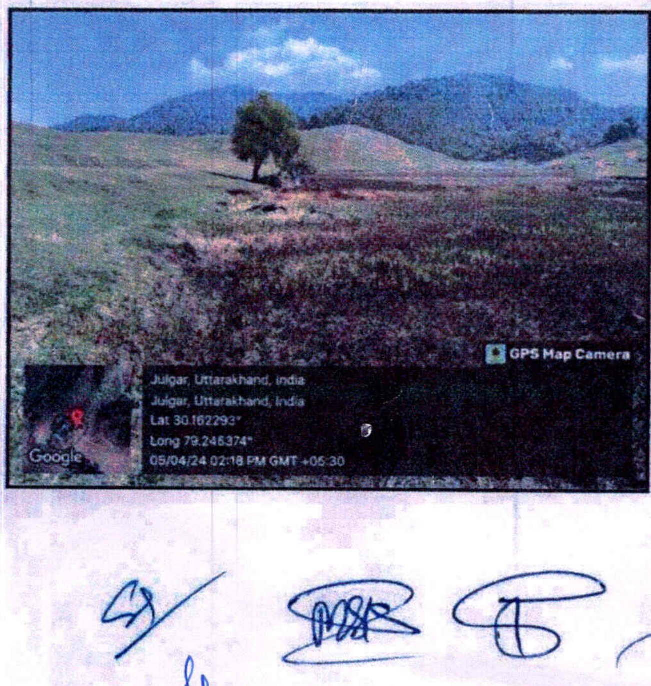

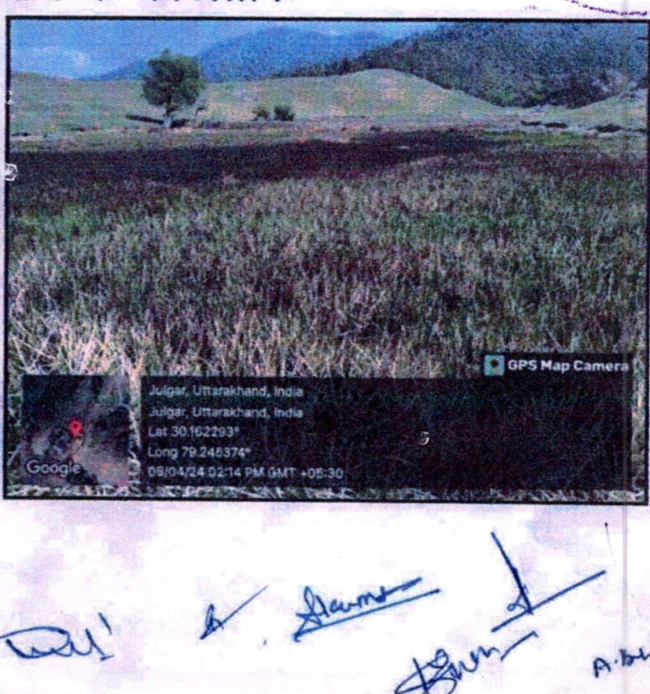

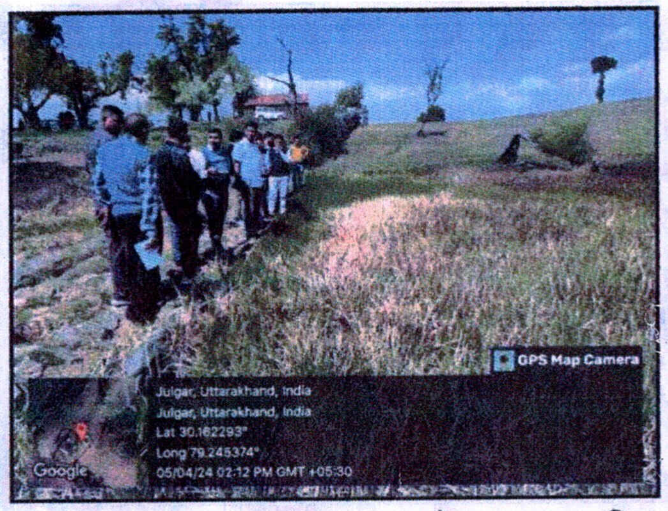

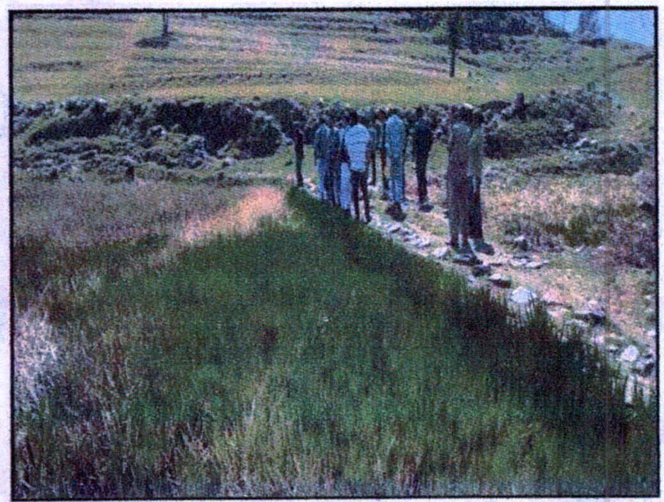

अतः उपरोक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक—यथोपरि।

(मनोज कार्की) राजस्व उपनिरीक्षक, तहसील कर्णप्रयाग।	(ओम प्रकाश वर्मा) ए0आर0, पर्यटन विभाग, चमोली।	(अखिलेश भट्ट) वनक्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़।
(शुभम डोभाल) सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, थराली।	(तीरथ सिंह राणा) ए0डी0ओ0, उद्यान विभाग, चमोली।	(सुरेन्द्र कुमार) अधिशासी अधिकारी, कर्णप्रयाग।
(जुगल किशोर) उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।	(के0के0 पन्त) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चमोली।	

(सर्वेश कुमार)
अध्यक्ष/प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ बन प्रभाग,
गोपेश्वर।

NOTARY
D. S. Rawat
Area- Gopeshwar
Reg No 08(11)2003
GOVT OF UTTARAKHAND